भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*115
सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)

रोजगार सृजन

*115. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई समग्र कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“रोजगार सृजन” के संबंध में श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 10.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *115 के लिए भाग (क) से (ग) के लिए दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

देश के आर्थिक विकास में उत्पादन योगदान देने के लिए युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना आवश्यक है। तदनुसार, भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से उद्यमशीलता को प्राथमिकता दी है ताकि उद्यमियों को प्रशिक्षित और वित्त प्रदान किया जा सके।

भारत सरकार के राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास को अपनाया है तथा स्किल इंडिया मिशन आरंभ किया है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से 12,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। पीएमआरपीवाई के तहत नियोक्ता के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

उपरोक्त सर्वेक्षण अवधि के लिए संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों हेतु अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 10.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *115 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक कामगार जनसंख्या अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2013-14	2015-16	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	64.8	61.6	57.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.4	62.1	42.3
3.	असम	59.3	50.6	43.7
4.	बिहार	48.0	48.4	35.5
5.	छत्तीसगढ़	65.6	67.3	62.4
6.	दिल्ली	40.2	40.8	42.7
7.	गोवा	47.9	44.7	42.9
8.	गुजरात	52.9	49.0	47.4
9.	हरियाणा	45.5	44.7	41.7
10.	हिमाचल प्रदेश	68.4	40.8	58.9
11.	जम्मू और कश्मीर	43.3	36.7	51.0
12.	झारखंड	64.8	65.2	41.7
13.	कर्नाटक	56.8	55.5	49.1
14.	केरल	48.0	45.2	41.2
15.	मध्य प्रदेश	59.2	44.8	54.3
16.	महाराष्ट्र	55.2	52.2	50.5
17.	मणिपुर	61.2	59.9	42.5
18.	मेघालय	68.7	62.8	62.3
19.	मिजोरम	71.2	67.4	46.4
20.	नागालैंड	49.8	63.5	32.8
21.	ओडिशा	54.0	51.2	44.9
22.	पंजाब	41.1	40.2	42.9
23.	राजस्थान	54.5	53.7	48.2
24.	सिक्किम	64.8	61.4	58.7
25.	तमिलनाडु	58.3	56.3	51.0
26.	तेलंगाना	65.1	56.6	49.8
27.	त्रिपुरा	54.9	61.9	42.0
28.	उत्तराखंड	46.9	44.6	40.6
29.	उत्तर प्रदेश	48.1	43.7	41.8
30.	पश्चिम बंगाल	48.7	50.7	47.8
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	53.7	54.1	48.7
32.	चंडीगढ़	39.7	37.1	46.9
33.	दादर और नगर हवेली	42.1	45.4	66.3
34.	दमन और दीव	43.2	50.1	63.2
35.	लक्षद्वीप	42.8	34.6	34.4
36.	पुडुचेरी	44.2	50.9	37.8
	अखिल भारत	53.7	50.5	46.8

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।